फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर

—प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स हरि प्रिया एन्टरप्राइजेज, जरिये प्रोपराइटर श्री प्रितेश सिंह गोरवा
   पता – 1, एन एच – 8 C/o लोकेश चन्द्र शुक्ला, भण्डारी बावडी के सामने, लाल बाग के पास, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
   पता – वार्ड नम्बर 5, गणेश नगर, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
2. श्री प्रितेश सिंह गोरवा पुत्र श्री अनिल कुमार गोरवा,
   पता – 174, गणेश नगर, वार्ड नम्बर 5, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
3. श्री अनिल कुमार गोरवा पुत्र श्री देव कृष्ण गोरवा,
   पता – 38, गणेश नगर, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
4. श्रीमती रेखा देवी गोरवा पत्नी श्री अनिल कुमार गोरवा,
   पता – लोधा घाटी, गणेश नगर, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

—अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 38 / 2021**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
	दिनांक 09.11.2021 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 24.08.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 28.09.2019 को 26,00,000 / – अक्षरे छब्बीस लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया था व अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में बंधक विलेख को निष्पादित कर अचल सम्पत्तियों :– सम्पत्ति जो वार्ड नम्बर 5, गणेश नगर, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 1526.75 वर्गफीट हैं, जो श्री अनिल कुमार गोरवा पुत्र श्री देव कृष्ण गोरवा के नाम है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था। अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रद्वत ऋण अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार नही चुकाया परिणामस्वरूप उक्त ऋण खाता दिनांक 28.02.2021 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया व अप्रार्थीगण के ऋण खातों में रूपये 23,61,785 / – दिनांक 07.05.2021 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते है। उक्त ऋण खाते में बकाया ऋण राशि को अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार भुगतान ना करने पर एन0पी0ए0 वर्गीकृत होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 07.05.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये, जो उन्हे प्राप्त हो गये, परन्तु उक्त मांग नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा न तो सम्पूर्ण बकाया ऋण राशी जमा करवायी गयी व न ही बंधकशुदा सम्पत्तियों का कब्जा	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी बैंक को दिया गया। अप्रार्थीगण को उपरोक्त नोटिस के अनुसार नोटिस की दिनांक से 60 दिवस के अन्दर बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि रूपये 23,61,785/— दिनांक 07.05.2021 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त का भुगतान करना था परन्तु अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नही की है परिणामस्वरूप बैंक को बकाया ऋण की वसूली करने के लिए बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेना आवश्यक हो गया हैं। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी दिनांक 30.07.2021 को उक्त ऋण खाते में बंधक सम्पत्ति का कब्जे लेने के लिए सम्पत्ति स्थल पर गये लेकिन ऋणी/सहऋणी/ बंधककर्ता/जमानतदार ने प्राधिकृत अधिकारी को बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा सुपुर्द नही किया गया इसके पश्चात प्राधिकृत अधिकारी ने सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा लिया व उक्त कब्जा नोटिस का प्रकाशन नियमानुसार दो समाचार पत्रों में दिनांक 01.08.2021 को किया गया। बैंक के पास बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :— सम्पत्ति जो वार्ड नम्बर 5, गणेश नगर, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 1526. 75 वर्गफीट है, जो कि श्री अनिल कुमार गोरवा पुत्र श्री देव कृष्ण गोरवा के नाम है। जिसकी चतुसीमाए :— पूर्व में :— भगवानदास गोरवा, पश्चिम :— मांगीलाल गोरवा, उत्तर :— आम रास्ता, दक्षिण : आम रास्ता।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 07.05.2021 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ—पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :— श्री अनिल कुमार गोरवा पुत्र श्री देव कृष्ण गोरवा, निवासी वार्ड नम्बर 5, गणेश नगर, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द सम्पत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल 1526.75 वर्गफीट है, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि :— पूर्व में :— भगवानदास गोरवा, पश्चिम :— मांगीलाल गोरवा, उत्तर :— आम रास्ता, दक्षिण : आम रास्ता।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)